



2026: AHC: 24342-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - **1196/2025**

बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी, आगरा एवं अन्य अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी., विशाखा पांडे, विशाल तलवार, जीशान खान, कलीम अख्तर, अली बिन सैर, सईद मसरूर, मोहम्मद आदिल सिद्दीकी

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. स्वीकृत।

2. आदेश के लिए, संबद्ध विशेष अपील संख्या 1137 वर्ष 2025 में आज की तिथि में पारित आदेश देखें।

दिनांक: 4 फरवरी, 2026

ए.के.शुक्ला/-

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"